राजस्व प्रार्थना पत्र 100/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00295
निम्बाराम उर्फ नेमाराम बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 100/2020

प्रार्थी–

1. नेमाराम पुत्र हीराराम जाति अहीर (यादव), निवासी– दुगस्ताउ तहसील–जायल, हाल निवासी, दुजार तहसील–लाडनूं, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री अम्बालाल पारासर
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 21/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र हीराराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 में निम्बाराम पुत्र हीराराम खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 008238200791, मतदाता पहचान पत्र संख्या जीएचएस 1197482, आधार कार्ड संख्या 7836 3082 2525, पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 6614000100023337 की डायरी, ग्राम पंचायत संरपच दुजार का प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का सही नाम नेमाराम पुत्र हीराराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 2528 दिनांक 14.07.2021 व 27.04.2022 को मय हल्का आईएलआर मांगलोद व पटवारी हल्का दुगस्ताउ की संयुक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 स्थायी में निम्बाराम पुत्र हीराराम खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर

21/6/2022
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

1207/1, 1616, 717, 718 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी निम्बाराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 008238200791 , मतदाता पहचान पत्र संख्या जीएचएस 1197482, आधार कार्ड संख्या 7836 3082 2525, पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 6614000100023337 की डायरी , ग्राम पंचायत संरपच दुजार का प्रमाण पत्र में नाम नेमाराम पुत्र हीराराम दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में निम्बाराम नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम निम्बाराम दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने निम्बाराम तथा नेमाराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी दुगस्ताउ तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 008238200791 , मतदाता पहचान पत्र संख्या जीएचएस 1197482, आधार कार्ड संख्या 7836 3082 2525, पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 6614000100023337 की डायरी , ग्राम पंचायत संरपच दुजार का प्रमाण पत्र तथा मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुगस्ताउ के खतौनी सं. 348 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम निम्बाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र हीराराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 008238200791 , मतदाता पहचान पत्र संख्या जीएचएस 1197482, आधार कार्ड संख्या 7836 3082 2525, पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 6614000100023337 की डायरी , ग्राम पंचायत संरपच दुजार का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति में प्रार्थी निम्बाराम एवं नेमाराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय नेमाराम के स्थान पर निम्बाराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि नेमाराम एवं निम्बाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 में दर्ज खातेदार नाम निम्बाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि –

1. मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 348 के खसरा नम्बर 1207/1, 1616, 717, 718 में दर्ज नाम निम्बाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
2. मौजा दुगस्ताउ के खेत खातेदारी खतौनी संख्या 348 में वर्णित खसरान् अप्रार्थी संख्या 2 के रहन होने से संबंधित बैंक को सूचित हो तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि संबंधित खाता बैंक रहन मुक्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

यह आदेश आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल